

E-mail/FAX

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

शुद्धि-पत्र

170
26.03.18

विभागीय आवंटनादेश सं०-159, दिनांक-19.03.2018 के विषय एवं कंडिका-1 में आबंटित राशि
रु० 1,13,200/- (एक लाख तेरह हजार दो सौ रूपयें) मात्र के स्थान पर रु० 1,23,200/- (एक लाख
तेईस हजार दो सौ रूपयें) मात्र पढ़ा जाय। आबंटनादेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

निदेशक 4/3/18

ज्ञापांक-1/अनु०जनजाति (खड़िया विद्या०)-16-01/2009- 170 पटना, दिनांक-26.03.18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/उप
निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषांगार
पदाधिकारी, मुंगेर/संबंधित उप कोषांगार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी,
मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर/संबंधित विद्यालयों के
प्रधानाध्यापक/प्रशाखा पदाधिकारी 1 एवं 2 (नि०)/सांख्यिकी कोषांग/आई०टी०मेनेजर, अनु० जाति एवं
अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

निदेशक 4/3/18